भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान (ICAR- IIGR)
ईवनगर रोड, जूनागढ़, गुजरात

दिनांक: 14-08-2026 **फार्म/नीलामी/25-26/**

रबी सीजन 2026-27, Summer (जायद) 2027, खरीफ 2027 (एक वर्ष) के लिए अनुबंध खेती के माध्यम से संसाधन उत्पादन के लिए सार्वजनिक नीलामी

इच्छुक किसान भाइयों/संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान, ईवनगर रोड, जूनागढ़ स्थित फार्म में एक वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट में रबी सीजन 2026-27 के लिए लगभग 300 बीघा भूमि, समर सीजन 2027 के लिए लगभग 60 बीघा भूमि एवं खरीफ सीजन2027 के लिए लगभग 230 बीघा भूमि अनुबंध पर दी जानी है। यह क्षेत्रफल घट-बढ़ भी सकता है। इच्छुक किसान भाइयों/संस्थाओं से अनुरोध है कि वे सीपीपी पोर्टल पर आकर नीलामी में भाग लें। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति IIGR वेबसाइट/ सीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध शर्तों को पढ़कर प्रति बीघा मूल्य (जिसमें बिजली का बिल का चार्ज भी शामिल रहेगा, बिजली का बिल अलग से नहीं लिया जाएगा) के साथ ऑनलाइन (Online) नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। एक बीघा का माप 1600 m^2 रहेगा। स्थलीय निरीक्षण के लिए सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक प्रक्षेत्र कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। सभी शर्तों एवं अधिक जानकारी के लिए संस्था की वेबसाइट www.icar-iigr.org.in देखें।

1. रबी 2026-27 में एक बीघा (1600 m^2) का अनुमानित मूल्य :
2. समर 2027 में एक बीघा (1600 m^2) का अनुमानित मूल्य :
3. खरीफ 2027 में एक बीघा (1600 m^2) का अनुमानित मूल्य :

अनुबंध का कुल मूल्य: अंदाजित :

रबी सीजन 2026-27, Summer (जायद) 2027, खरीफ 2027 (एक वर्ष) के लिए अनुबंध खेती के माध्यम से संसाधन उत्पादन के लिए सार्वजनिक नीलामी की शर्तें

1. एक वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट में रबी सीजन 2026-27 के लिए लगभग 300 बीघा भूमि, समर सीजन 2027 के लिए लगभग 60 बीघा और भूमि खरीफ सीजन2027 के लिए लगभग 230 बीघा भूमि अनुबंध पर दी जानी है। यह क्षेत्रफल घट-बढ़ भी सकता है।

2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति शर्तों को पढ़कर एवं समझकर प्रति बीघा (1600 m^2) का मूल्य प्रत्येक सीजन (रबी, जायद और खरीफ) का भरना होगा जिसमें बिजली का बिल भी शामिल रहेगा, बिजली का बिल अलग से नहीं लिया जाएगा।

3. भूमि जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी और आवश्यक कृषि कार्य (जुताई आदि) अनुबंध के आधार पर भूमि अनुबंध धारक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्ट समाप्त होने के बाद, भूमि को उसी स्थिति में वापस करना होगा जिस स्थिति में इसे लिया गया था।

4. सफल बोलीदाता को एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक तीनों सीजन जैसे सर्वप्रथम रबी सीजन हेतु 25% राशि, इसके पश्चात समर सीजन हेतु भी नीलामी राशि का 25% जमा करना होगा। तत्पश्चात खरीफ सीजन हेतु भी इसी क्रम में नीलामी राशि का 25% खेती शुरू करने से पहले जमा करना अनिवार्य होगा। तभी भूमि पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, शेष 75% प्रत्येक तीनों सीजन की फसल की कटाई के बाद 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा, तभी फसल को संस्थान बाहर निकालने की अनुमति दी जाएगी।

5. कार्यालय द्वारा सभी पानी की मोटरों को एक बार चालू करके दिखाया जाएगा और फिर मरम्मत आदि की सारी जिम्मेदारी भूमि धारक की होगी और अंत में भूमि सौंपते समय सभी पानी की मोटरों को चालू हालत में सौंपना होगा। अनावश्यक उपयोग से रोकने के लिए पानी और बिजली का मोनिटरिंग ऑफिस के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. अनुबंध के आधार पर भूमि पर रबी सीजन के लिए शीतकालीन फसलें जैसे गेहूँ या चना, समर सीजन के लिए तिल या मूंग और खरीफ सीजन के लिए मूंगफली (गिरनार 4 या गिरनार 5) ही बोना होगा।

7. कांटेक्टर को अनुबंध के आधार पर भूमि पर खरीफ सीजन 2027 में केवल मूंगफली अनुसंधान संस्थान से गिरनार 4 या गिरनार 5 का बीज खरीद करना होगी, जिसका कीमत 110 रुपया प्रति किलोग्राम की ही बुवाई करनी होगी। बाहर से किसी भी किस्म का बीज लाने की अनुमति नहीं होगी।

8. कटाई के बाद मूंगफली को सफाई करके ग्रेडिंग करके संस्थान को ही अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। जमा की गयी मूंगफली का भुगतान सरकार द्वारा उस वर्ष में घोषित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से 10% अधिक दर पर की जाएगी।

9. अनुबंधित समय के दौरान वर्षा, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भूमिधारक कांट्रेक्टर की होगी।

10. सिंचाई के लिए आवश्यक पाइप, जो संस्थान के प्रक्षेत्र विभाग के पास हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। कार्य पूर्ण होने के बाद, उन्हें स्टैंड पर व्यवस्थित करना होगा। केवल उपलब्ध एचडीपीई पाइप का ही उपयोग किया जाएगा, कोई अतिरिक्त पाइप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

11. भूमि की कुल अवधि 16-10-2026 से 15-10-2027 तक रहेगी।

12. यदि तीनों सीजन (एक वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट) पूरे फसल मौसम के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी होती है, तो अनुबंधित भूमिधारक इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, जिसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

13. यदि तीनों सीजन (एक वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट) के दौरान संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो अनुबंधित भूमिधारक को उसकी मरम्मत करानी होगी।

14. तीनों सीजन में संस्थान के खेतों में खरपतवार एवं अन्य सफाई की जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी।

15. सभी प्रकार के भुगतान कार्यालय में ऑनलाइन/आरटीजीएस के माध्यम से करने होंगे।

16. निदेशक, आईआईजीआर जूनागढ़ को बिना कोई कारण बताए नीलामी के किसी भी चरण में नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।